भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 154
दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

बच्चों के खिलाफ यौन अपराध

154. श्री राम नाथ ठाकुर:

याक् **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामले में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है;
(ख) क्या इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है, साथ ही ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एजेंसियों की असफलता के क्या कारण हैं; और
(ग) क्या यह भी सच है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों को निपटाने में संतोषजनक सफलता नहीं मिल रही है और देश के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2019-2021 के दौरान यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों (सीआर), चार्जशीट किए गए मामलों (सीसीएस), विचारण के लिए भेजे गए मामलों (सीएसटी), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन), वर्ष के अंत में न्यायालय में विचाराधीन मामलों (सीपीटीईवाई), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्तियों (पीसीएस) और सजायाफ्ता व्यक्तियों (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा अधिनियमित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। पॉक्सों अधिनियम, 2012 में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। अपराधियों को रोकने और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, बच्चों पर यौन अपराध करने पर मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा देने के लिए 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पॉक्सो नियमावली, 2020 में अन्य बातों में स्कूलों और देखभाल गृहों के कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस सत्यापन का प्रावधान, बाल यौन शोषण सामग्री (पोर्नोग्राफी) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, आयु-अनुकूल बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करना, शामिल हैं।

पॉक्सो नियमावली, 2020यह भी निर्दिष्ट करती है कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों, नियमित हों या संविदात्मक, को बाल सुरक्षा और संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों, संवेदीकरण कार्यशालाओं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों सहित समय करेगी प्रदान प्रशिक्षण पर समय-और अधिनियम के तहत उनकी जिम्मेदारी के बारे में उन्हें शिक्षित करेगी।

'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, सरकार ने यौन अपराध के मामलों में दो महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान करते हुए आपराधिक कानून में संशोधन किया है।

गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में, विशेष रूप से डीएनए विश्लेषण में, अपनी क्षमता विकसित करने में सहायता कर रहा है। गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने में मदद करने के लिए एडवाइजरी जारी करता रहा है, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

भारत सरकार अक्टूबर 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है, जिसमें बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए 389 अनन्य पॉक्सो (ई-पॉक्सो) अदालतें शामिल हैं। अक्टूबर 2019 में शुरू हुई इस स्कीम को 31.03.2023 तक बढ़ाया गया है। 381 ई-पॉक्सो न्यायालयों सहित 681 एफटीएससी वर्तमान में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

*****

7 दिसंबर 2022 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 154 का अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	सीआर	सीसीएस	सीएसटी	सीओएन	सीपीटीईवाई	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1.	आंध्र प्रदेश	2019	502	313	313	16	1542	645	589	20
		2020	454	521	521	18	1863	536	793	19
		2021	466	535	535	8	2295	716	682	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	2019	36	24	24	0	52	40	27	0
		2020	28	18	18	0	70	34	26	0
		2021	23	32	32	6	96	39	36	6
3.	असम	2019	1779	1396	1396	83	3750	1890	1548	84
		2020	1496	1340	1340	43	4720	2327	1610	43
		2021	1926	1723	1723	73	5988	2686	2040	77
4.	बिहार	2019	1540	1184	1184	113	3575	1837	1532	132
		2020	1591	1350	1350	41	4853	1700	1533	46
		2021	1571	1564	1564	208	6117	1737	1767	236
5.	छत्तीसगढ़	2019	2027	2073	2073	349	4799	2513	2453	414.
		2020	2049	2038	2038	218	6231	2459	2417	245
		2021	2332	2323	2323	274	7617	2783	2755	319
6.	गोवा	2019	0	0	0	0	2	0	0	0
		2020	5	5	5	0	7	5	5	0
		2021	2	1	1	0	8	0	1	0
7.	गुजरात	2019	2253	2072	2072	74	8604	2773	2748	89
		2020	2345	2272	2272	23	10731	2985	2959	27
		2021	2443	2390	2390	71	12647	2978	2971	79
8.	हरियाणा	2019	2074	1686	1686	333	2962	2189	2135	395
		2020	1853	1506	1506	56	4255	1928	1900	67
		2021	2249	1683	1683	205	5228	2311	2192	238
9.	हिमाचल प्रदेश	2019	12	8	8	0	54	7	9	0
		2020	5	9	9	0	62	11	14	0
		2021	13	10	10	2	66	20	18	2
10.	झारखण्ड	2019	654	459	459	100	1024	638	530	104
		2020	938	582	582	137	1398	723	673	152
		2021	806	637	637	107	1848	689	736	119

11.	कर्नाटक	2019	2160	2021	2021	190	7137	2665	2633	208
		2020	2104	2016	2016	61	8568	2527	2507	69
		2021	2813	2774	2774	249	10027	3686	3463	259
12.	केरल	2019	1283	1009	1009	40	4216	1443	1097	42
		2020	2163	1522	1522	41	5564	2303	1720	41
		2021	2647	2752	2752	140	7724	3281	3065	151
13.	मध्य प्रदेश	2019	6123	5867	5867	874	9677	7376	7454	1086
		2020	5648	5558	5558	482	13805	6989	6964	568
		2021	6070	5848	5848	914	16760	7068	7441	1120
14.	महाराष्ट्र	2019	6558	6295	6295	706	25807	8723	7510	792
		2020	5687	5750	5750	308	30530	7596	6956	354
		2021	6200	6443	6443	527	34879	8290	7395	598
15.	मणिपुर	2019	58	59	59	5	189	59	74	5
		2020	75	53	53	1	241	72	55	1
		2021	97	74	74	7	300	105	103	7
16.	मेघालय	2019	219	255	255	96	987	309	287	96
		2020	328	259	259	48	1158	347	304	55
		2021	384	366	366	48	1454	422	369	48
17.	मिजोरम	2019	79	78	78	59	398	79	79	63
		2020	105	100	100	44	436	108	104	44
		2021	104	97	97	23	505	99	98	26
18.	नागालैंड	2019	12	12	12	1	61	14	13	1
		2020	18	15	15	6	69	23	17	6
		2021	31	30	30	4	94	39	36	4
19.	ओडिशा	2019	2036	1779	1779	33	4798	2033	2124	33
		2020	2202	2086	2086	35	6661	2379	2541	37
		2021	2498	2360	2360	56	8608	2647	2778	57
20.	पंजाब	2019	389	319	319	87	606	484	375	121
		2020	720	684	684	51	1154	828	829	70
		2021	751	710	710	105	1514	867	837	142
21.	राजस्थान	2019	596	423	423	178	3152	548	543	216
		2020	244	161	161	302	2942	211	209	371
		2021	601	397	397	85	3133	526	518	117

22.	सिक्किम	2019	91	88	88	12	212	95	94	12
		2020	98	86	86	11	274	102	91	11
		2021	100	102	102	19	325	111	109	19
23.	तमिलनाडु	2019	2396	2228	2228	286	5599	3045	2553	318
		2020	3090	2472	2472	176	7293	3795	2840	260
		2021	4465	3373	3373	226	9539	5541	4046	258
24.	तेलंगाना	2019	1998	1724	1724	89	3806	2549	2139	108
		2020	2074	2053	2053	102	5267	2789	2471	120
		2021	2698	2468	2468	96	6828	3138	2842	100
25.	त्रिपुरा	2019	176	173	173	34	649	193	183	40
		2020	143	143	143	11	759	181	193	11
		2021	125	135	135	19	832	166	176	21
26.	उत्तर प्रदेश	2019	7594	6478	6478	1002	23187	9650	9377	1674
		2020	6898	6817	6817	1276	28199	10248	9882	1708
		2021	7129	6881	6881	1514	32720	10468	9882	1958
27.	उत्तराखंड	2019	369	384	384	92	868	452	451	111
		2020	573	616	616	35	1434	675	674	39
		2021	712	672	672	42	2027	801	819	42
28.	पश्चिम बंगाल	2019	2256	2531	2531	81	8367	2530	3292	98
		2020	2657	2621	2621	29	10784	2568	3003	30
		2021	2607	2640	2640	68	13045	2778	3303	69
	कुल(राज्य)	2019	**45270**	**40938**	**40938**	**4933**	**126080**	**54779**	**51849**	**6262**
		2020	**45591**	**42653**	**42653**	**3555**	**159328**	**56449**	**53290**	**4394**
		2021	**51863**	**49020**	**49020**	**5096**	**192224**	**63992**	**60478**	**6080**

29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2019	94	87	87	3	291	99	95	3
		2020	118	124	124	11	384	116	137	11
		2021	108	107	107	13	381	117	131	15
30.	चंडीगढ़	2019	5	6	6	0	8	5	6	0
		2020	0	1	1	0	8	0	2	0
		2021	1	0	0	2	5	0	0	2
31.	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	2019+	54	54	54	0	68	62	56	0
		2020	42	43	43	2	89	56	51	2
		2021	53	50	50	2	98	61	57	2
32.	दिल्ली	2019	1719	1589	1589	718	8406	2269	1924	720
		2020	1197	1667	1667	72	9981	1994	1927	87
		2021	1454	1579	1579	42	11489	1952	1895	50
33.	जम्मू व कश्मीर	2019*	109	79	79	0	96	101	98	0
		2020	200	153	153	2	242	235	230	4
		2021	294	251	251	1	478	343	333	1
34.	लद्दाख	2019	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020	0	0	0	0	1	0	0	0
		2021	0	0	0	0	1	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	2019	25	11	11	0	26	27	13	0
		2020	8	6	6	2	29	11	6	2
		2021	14	19	19	0	46	31	21	0
36.	पुदुच्चेरी	2019	48	45	45	4	209	74	74	4
		2020	65	62	62	42	209	141	120	42
		2021	87	103	103	0	312	169	111	0
	कुल (सं.रा.क्षे.)	2019	**2054**	**1871**	**1871**	**725**	**9104**	**2637**	**2266**	**727**
		2020	**1630**	**2056**	**2056**	**131**	**10943**	**2553**	**2473**	**148**
		2021	**2011**	**2109**	**2109**	**60**	**12810**	**2673**	**2548**	**70**
	अखिल भारत (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	2019	**47324**	**42809**	**42809**	**5658**	**135184**	**57416**	**54115**	**6989**
		2020	**47221**	**44709**	**44709**	**3686**	**170271**	**59002**	**55763**	**4542**
		2021	**53874**	**51129**	**51129**	**5156**	**205034**	**66665**	**63026**	**6150**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय

सीआर: पंजीकृत मामले सीएसएस: चार्जशीट किए गए मामले सीएसटी: मुकदमे के लिए भेजे गए मामले सीओएन: दोषी पाए गए मामले सीआईपीटीईवाई: साल के अंत में विचाराधीन मामले
पीएआर: गिरफ्तार व्यक्ति पीसीएस: चार्जशीट किए गए व्यक्ति पीसीवी: सजायाफ्ता व्यक्ति

+ 2019 के दौरान पूर्ववर्ती डी एंड एन हवेली यूटी और दमन और दीव का संयुक्त डेटा

* 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का डेटा